// बिहार पशु चिकित्सा संघ
कार्यालय - विद्यापति मार्ग, पटना-800001
Email- bvapatna@gmail.com

डॉ० राय चन्द्र पासवान
अध्यक्ष
मो० 9471867310

डॉ० विनोद कुमार मुक्ता
प्रधान महासचिव
मो० 7488601083

पत्रांक- ......-70.........

दिनांक- ....-30-07-2020.............

महासचिव
डॉ० दिलीप कुमार
मो० 9801881887
उपाध्यक्ष
डॉ० शोभा कुमारी
मो० 7858012676
डॉ० जितेन्द्र कुमार भोला
मो० 6203955586
डॉ० सुधांशु कुमार
मो० 9939365429
डॉ० अंजनी कु० सिन्हा
मो० 9334164261
संगठन सचिव
डॉ० अनिल कुमार निर्झर
मो० 8002460154
कोषाध्यक्ष
डॉ० जितेन्द्र प्रसाद
मो० 9431033631
वित्त सचिव
डॉ० प्रमोदानंद लाल दास
मो० 9431472705
अंकेक्षक
डॉ० विजय प्रसाद मंडल
मो० 9430947979
तकनीकी सचिव
डॉ० सीमु
मो० 9471642606
प्रचार सचिव
डॉ० अंशु कुमार
मो० 9572165500
क्षेत्रीय सचिव
डॉ० सत्य नारायण यादव
मो० 9204908025
डॉ० संजीत कुमार
मो० 7070521479
डॉ० पंकज कुमार
मो० 8178451672
डॉ० करूणा भारती
मो० 9905277744
डॉ० साकेत कुमार
मो० 9471404196
डॉ० राजशेखर
मो० 7979085551
डॉ० निरंजन कुमार
मो० 9162394546
डॉ० उपेंद्र कुमार चौधरी
मो० 7091974830

सेवा में,

सचिव,

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

विषय ः—बरसात एवं बाढ़ में Ear Tagging करने के कारण पशुओं के कान में संक्रमण होने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अनुरोध पूर्वक कहना है कि बिहार पशु चिकित्सा संघ के द्वारा कई बार समय अनुकूल नहीं होने के कारण Ear Tagging कार्यक्रम पर रोक लगाने से संबंधित पत्र विभाग को दिया जा चुका है; पर विभाग द्वारा जारी दिशा—निदेश के आलोक में बिहार के सभी पशुचिकित्सकों द्वारा NADCP अंतर्गत प्रोग्राम को सफल बनाने हेतु पूरी कर्त्तव्य — निष्ठा के साथ क्षेत्र में टीकाकर्मी द्वारा पशुओं का Ear Tagging का कार्य बिना किसी Safety Equipment के कराया जा रहा है; परन्तु बाढ़ एवं बरसात के कारण Ear Tagging करने के उपरांत अधिकांशतः पशु के कान में संक्रमण की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस कारण से समाज में Ear Tagging के प्रति पशुपालकों के बीच नाकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। संक्रमण का हर मामला समाज को Ear Tagging का विरोधी बना रहा है। इस कारण से दैनिक Target हासिल नहीं हो पा रहा है।

इस विषम परिस्थिति में जब एक पशुचिकित्सक कई जगहों के प्रभार में है तथा अनेकों पशुचिकित्सालयों में पशुचिकित्सक के अलावा कोई कर्मी पदस्थापित नहीं है, तब पशु चिकित्सकों द्वारा कराये जा रहे कार्य की सराहना होनी चाहिए न कि उनके विरुद्ध स्पष्टिकरण निर्गत होना चाहिए। स्पष्टिकरण से सारे पशुचिकित्सकों में हतोत्साहित होने वाली भावना से ग्रसित होने की सम्भावना बनी रहती है; जिससे विभागीय कार्य करने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह विभाग का कर्मियों के प्रति उदासिनता का द्योतक है।

पशुओं के साथ किया जाने वाला कार्य सदैव जोखिम भरा होता है, जिसमें कभी भी दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है; वैसी स्थिति में किसी चिकित्सक या कर्मचारी के साथ कोई घटना होती है तो इसकी सारी जिम्मेवारी विभाग की होनी चाहिए; अप्रैल माह में डा0 धनंजय कुमार (कैमूर जिला में संविदा पर पदस्थापित) की मृत्यु आकस्मिक दुर्घटना में हो गई, परन्तु आज तक विभाग द्वारा किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं की गई है। इसके लिए कार्य में संलग्न सभी लोगों का विभाग के द्वारा दुर्घटना बीमा भी किया जाना न्यायसंगत होगा।

अतः श्रीमान् से विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त विन्दुओं को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/—

(डा0 विनोद कुमार मुक्ता)

प्रधान महासचिव

ज्ञापांक ....70......./ बिप0चि0संघ   पटना, दिनांक.......30......जुलाई, 2020

प्रतिलिपि ः– माननीय श्री गिरीराज सिंह जी, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्री, भारत सरकार, नयी दिल्ली / सचिव, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन, भारत सरकार, नयी दिल्ली / निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(डा0 विनोद कुमार मुक्ता)

प्रधान महासचिव